रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग III—खण्ड 4

PART III—Section 4

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 67] नई दिल्ली, सोमवार, अप्रैल 2, 2007/चैत्र 12, 1929

No. 67] NEW DELHI, MONDAY, APRIL 2, 2007/CHAITRA 12, 1929

महापत्तन प्रशुल्क प्राधिकरण

अधिसूचना

मुंबई, 29 मार्च, 2007

सं. टीएएमपी/33/2004-वीएसएल.—महापत्तन न्यास अधिनियम, 1963 (1963 का 38) की धारा 48 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, महापत्तन प्रशुल्क प्राधिकरण, एतद्द्वारा, संलग्न आदेशानुसार, विशाखापट्टणम पत्तन न्यास में बर्थ संख्या ईक्यू-8 और ईक्यू-9 पर अपने प्रचालन के लिए वैज़ाग सीपोर्ट लिमिटेड के वर्तमान दरमान की वैधता को विस्तार प्रदान करता है ।

अनुसूची

प्रकरण सं. टीएएमपी/33/2004-वीएसएल

आदेश

(मार्च 2007 के 28वें दिन पारित)

यह प्रकरण विशाखापट्टणम पत्तन न्यास में बर्थ संख्या ईक्यू-8 और ईक्यू-9 पर अपने प्रचालन के लिए वैज़ाग सीपोर्ट लिमिटेड के वर्तमान दरमान की वैधता के विस्तार से सम्बन्धित है ।

2. वीएसएल के प्रारंभिक दरमान (एसओआर) को पिछली बार इस प्राधिकरण के आदेश सं. टीएएमपी/33/2004-वीएसएल दिनांक 15 मार्च, 2005 द्वारा अनुमोदित किया गया था । यह आदेश दरमान सहित, राजपत्र सं. 40 द्वारा, दिनांक 28 मार्च, 2005 को भारत के राजपत्र में प्रकाशित किया गया था । अनुमोदित दरमान की वैधता को उसके कार्यान्वयन की प्रभावी तिथि से लेकर दो वर्ष के लिए, निर्धारित किया गया था । तदनुसार, वीएसएल के वर्तमान दरमान की वैधता, अप्रैल, 2007 माह में समाप्त हो जायेगी ।

3. वीएसएल ने अपने दरमान के संशोधन के लिए दिनांक 1 फरवरी, 2007 को एक प्रस्ताव दाखिल किया है । प्रस्ताव को एक प्रशुल्क प्रकरण के रूप में पंजीकृत किया गया और प्रायिक परामर्श प्रक्रिया को आरंभ कर दिया गया है ।

4. चूंकि, अपने दरमान में संशोधन हेतु, वीएसएल से प्राप्त प्रस्ताव अभी तक परामर्श अवस्था में ही है, और प्रस्ताव की संवीक्षा तथा विश्लेषण के लिए कुछ अधिक समय लगेगा, यह प्राधिकरण वीएसएल के वर्तमान दरमान की वैधता को, उसकी समाप्ति तिथि से 31 जुलाई, 2007 तक अथवा वीएसएल द्वारा दाखिल किये गये प्रस्ताव का अंतिम निपटारा-इनमें से जो भी पहले हो, तब तक विस्तार प्रदान करता है ।

अ. ल. बोंगिरवार, अध्यक्ष

[विज्ञापन III/IV/143/2007/असा.]